

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13-7-21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपील उपर। अपीलकर्ता द्वारा महे अपील सूचना के अधिका अधिनियम 2005 की धारा 19(U) के तहत विरुद्ध रेलवे- उपरवक्त अधिकारी सुक्रे पुट के अर्थात् अपीलकर्ता के अर्थात् द्वारा घोषित रिचार्ज उपलब्ध कराते हेतु विवेक किता गया है। इस न्यायालय द्वारा उपरवक्त अधिकारी सुक्रे पुट को पत्र लिखा जोत या उद्देश्ये इत न्यायालय को अवगत कराया कि उनके द्वारा अपीलकर्ता के सूचना जरिए पत्रांक 27 दिनांक 14-1-2021 के घोषित की जा चुकी है। एवं जरिए पत्रांक 448-डि 1-6-21 के इस न्यायालय को भी उचित करके का उल्लेख किया है। अपीलकर्ता को प्रत्युत्तर जावत बताया गया है। उन्होने प्रत्युत्तर प्राप्त होना स्वीकार किया है। अपीलकर्ता उनके पेशवासी सिद्धिमाना द्वारा किए गए अधिकार के हवाला चाँहता है। इस लिए संतुष्ट नहीं हुआ। अधिकार न० या सुक्रे पुट के आवाही सेग में है। इस लिए अधि० अधिन० न० या सुक्रे पुट को लिखा जा चुका है। उनके लिए न० या सुक्रे पुट के ही चार जोड़ी हेतु विहित की गई। इस अपील के संदर्भ में इस समय किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं रह जाती है। इसी स्थिति में महे अपील इसे स्त या ब्यारिज की जाती है। पत्रावली सुक्रे पुट केसिल की जायदा इस न्यायालय से संख्या के कर हो। A जिला कलेक्टर, बाली</p>	<p>जावत</p>

